अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(बी. 20 रुल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, आमेर** जिला **जयपुर** ब इजलास **श्री बजरंग लाल स्वामी (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या : 113/2022
जीसीएमएस संख्या : 2022/378

गोकूल पुत्र श्री श्योनाथ
सीताराम पुत्र श्योनारायण
मुकेश पुत्र श्योनारायण
श्रीमती शांति देवी पत्नि श्योनारायण
भंवरी देवी पुत्री श्योनारायण
समस्त जाति मीणा, निवासी कचेरावाला उर्फ चौख्ल्यावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

\- - - वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव पता जवाहर लाल नेहरू मार्ग, रामबाग सर्किल, जयपुर।

\- - - प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक :- 05/06/2025

निर्णय

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी आमेर व हाजरी वकील वादी मिमजामिन मुद्दई रुबरु मिमजामिन मुद्दा यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण Suo Motu (सुओ मोटो) अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के खारिज किया जाता है।**

मोहर

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2	–
स्टाम्प वकालत नामा	2	–	स्टाम्प वकालत नामा	2	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–		–	–
मीजान	4	–	मीजान	4	–

मोहर

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बजरंग लाल स्वामी , आर.ए.एस.
जी.सी.एम.एस. नम्बर – 2022/378
वाद संख्या :– 113/2022

उनवानः– गोकूल व अन्य बनाम राज0 सरकार वगै0

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी (Suo Motto)

आदेश दिनांक :– 05/06/2025

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/वादीगण अधिवक्ता द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। वादीगण द्वारा वादपत्र में अभिवचन किया गया है कि घोषणा खातेदारी की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि राजस्व ग्राम कचेरावाला उर्फ चौख्ल्यावास, पटवार क्षेत्र नांगल सुसावतान, भू0अ0नि0क्षे0 आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर में कृषि भूमि ख0न0 416/649, 416/714 में से रकबा 0.87 हैक्टे0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें, तदानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि राजस्व ग्राम कचेरावाला उर्फ चौख्ल्यावास, पटवार क्षेत्र नांगल सुसावतान, भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर में कृषि भूमि ख0न0 416/649, 416/714 अथवा इसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से वादीगण के कब्जे–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी, बाधा, हस्तक्षेप, मजाहमत, मदाखलत करने से निषेद्ध रहे तथा अपने–अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि, इत्यादि को भी निषेध रखे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनायी रखें।

प्रतिवादी संख्या 3 जेडीए ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कचेरावाला उर्फ चौख्ल्यावास, तहसील आमेर के ख0न0 416/649 रकबा 0.440 किस्म बारानी 3, ख0न0 416/714 रकबा 0.1400 किस्म बारानी 3 जेडीए के नाम राजस्व दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ने विधि के विहित व आज्ञापक प्रावधान का उल्लंघन करते हुये वाद पेश किया है। चूंकि वाद पेश करने से पूर्व मिन प्रतिवादी को धारा 79 जेडीए एक्ट का नोटिस दिया जाने का प्रावधान है, जो वादी द्वारा पालना नही की गई है। ना ही ऐसी कोई परमिशन प्राप्त की गई है, इसलिये मिन प्रतिवादी जेडीए के विरूद्ध वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने जानबूझ कर कम न्यायशुल्क पेश कर वाद पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी जेडीए के नाम होने के कारण वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार करने योग्य नही हैं एवं ना ही वादी मिन प्रतिवादी जेडीए को किसी निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने का अधिकारी है।

पत्रावली के वादपत्र एवं चाहे गये अनुतोष का इस स्तर पर न्यायालय द्वारा अध्ययन किया। न्यायालय का यह मत है कि प्रकरण एडवर्स

BSW

नेशन से संबंधित है। इस स्तर पर न्यायालय का मत है कि प्रार्थना पत्र आदेश नियम 11 सीपीसी में **Suo Moto** खारिज करना विधि अनुसार है। इस संदर्भ में ायिक दृष्ट्रांत 2019(2) **RRT 1354** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह द्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि भूमि के मालिक के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे के धार पर स्वामित्व की घोषणा का वाद संधारण योग्य नही है। हस्तगत प्रकरण के य भिन्न हैं। प्रकरण में मालिक के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जा होना कथन नहीं किया या है वरन् एक टीनेन्ट के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जा होना कथन कर खातेदारी हकों घोषणा चाही गई है। प्रकरण में लैण्ड होल्डर राज्य सरकार है न कि टीनेन्ट। क टीनेन्ट के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे के आधार पर लैण्ड होल्डर की सहमति के ना खातेदारी की घोषणा किये जाने का कोई प्रावधान राजस्थान काश्तकारी धिनियम 1955 में नही है। माननीय राजस्व मंडल की पूर्ण पीठ द्वारा भी ारआरटी 2011(2) पेज 721 में यह स्पष्ट मत प्रतिपादित किया गया है कि तिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा कते है। इस प्रकार मेरे विनम्र मत में न्यायिक दृष्ट्रांत 2019(2) **RRT 1354** के थ्य हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित भिवचनों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। इस हेतु ाजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित अभिवचनों को सत्य भी मान लिया जाता है तो उसके धार पर चाहा गया अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण **Suo Motu** (सुओ मोटो) अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

13.05/06/2025

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर